न्यायालय अति. जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली (जयपुर)

बईलजास श्री राजवीर सिंह यादव (आर.ए.एस.) अति. जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली

अपील संख्या – /2015

दिगविजय सिंह पुत्र सुधीर जाति अहिर निवासी 3126/81 कम्पनी बाग, रेवाडी (हरियाणा)

–अपीलान्ट

बनाम

1. किस्तुरी देवी पत्नि स्व. श्रीराम जाति गुर्जर निवासी मीरापुर तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राजस्थान)

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कोटपूतली (जयपुर)

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 424 ग्राम मीरापुर तहसील कोटपूतली निर्णय दिनांक 06.02.2015 द्वारा तहसीलदार कोटपूतली

निर्णय दिनांक : 06.05.15

वकील अपीलान्ट ने उक्त अपील पेश की जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 328/1.43 ग्राम मीरापुर तहसील कोटपूतली के खातेदार काश्तकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 थी, जिन्होने उक्त आराजी में से 100/143 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपीलान्ट को बेचान कर दिया तभी से ही अपीलान्ट मौके पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज है, अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तकरण दर्ज करवाने हेतु पटवारी हल्का के पास आवेदन पत्र प्रस्तुत किया एवं पटवारी हल्का द्वारा जरिये नामान्तकरण संख्या 424 मीरापुर तहसील कोटपूतली मुताबिक विक्रय पत्र दर्ज कर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के समक्ष प्रस्तुत किया जिसकी तहसीलदार कोटपूतली द्वारा बिना कोई युक्तियुक्त कारण के महज यह जाहिर करते हुये कि भूमि बाबत अपील विचाराधीन है, नामान्तकरण खारिज कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विरूद्ध होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। गैर मुमकिन पहाड की भूमि मौके पर कृषि योग्य है, एवं मौके पर पहाड स्थित नही है, एवं उक्त भूमि नियमानुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन हुई है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मौके पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज थी जिसने प्रतिफल प्राप्त कर उक्त भूमि जरिये रजिस्ट्री अपीलान्ट को बेचान करने के उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी धारा 63 (4) आर.टी. एक्ट द्वारा समाप्त हो गई एवं मुताबिक विक्रय पत्र अपीलान्ट का नाम दर्ज किया जाना चाहिये था परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने कानून के उक्त मूलभूत सिद्धान्तो की अवहेलना करते हुये उक्त नामान्तकरण खारिज करने की भारी भूल की है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.02.2015 बाबत नामान्तकरण संख्या 424 ग्राम मीरापुर खारिज कर मुताबिक विक्रय पत्र दिनांक 21.11.2014 के अनुसार अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश सादिर फरमावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को वास्ते सुनवाई जरिये सम्मन तल्ब जारी किये गये।

प्रकरण में रेस्पोडेन्ट की ओर से जबाब अपील एवं कोई रिकॉर्ड व शहादत आदि प्रस्तुत नही की गई।

बहस सुनी गई। योग्य अधिवक्ता अपीलान्ट के द्वारा अपनी अपील के तथ्यो को

की जाकर मौके पर कब्जा प्राप्त कर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज काश्त है। इसलिए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 (विक्रेता) के विक्रय के समय से ही हक हकूक खातेदारी समाप्त होकर उसके फूट स्टेप पर अपीलान्ट के खातेदारी अधिकार उत्पन्न हो गये। अतः अपील स्वीकार की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में उनका नाम अंकित किया जावे।

हमने बहस पर गौर किया तथा प्रकरण के तथ्यो व प्रस्तुत रिकॉर्ड शहादत का अवलोकन एवं मनन किया।

अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 424 ग्राम मीरापुर का पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 31.12.2014 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.11.2014 के आधार पर अपीलान्ट के हक में भरा गया, जिस पर "जमाबन्दी व विक्रय पत्र से मिलान किया अंकन सही है। उक्त खसरा नम्बर की श्रीमान तहसीलदार साहब कोटपूतली द्वारा श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी महोदय जयपुर में रेफरेन्स प्रकरण चल रहा है।" की टिप्पणी भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 08.01.2015 को की गई। पीठासीन अधिकारी तहसीलदार कोटपूतली द्वारा दिनांक 06.02.2015 को इसी आधार पर उक्त नामान्तकरण बिना अपीलान्ट को कोई नोटिस एवं सूचना दिये एवं बिना किसी जांच पडताल व रिकॉर्ड दस्तावेजात का परीक्षण किये खारिज कर दिया। उक्त आदेश में सक्षम न्यायालय के किसी स्थगन आदेश का हवाला भी नही दिया गया, केवल मात्र अपील जैरकार होना बताकर नामान्तकरण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की वैधता को अपनी मनमर्जी से नजर अन्दाज करके खारिज कर दिया, जिसका उन्हे कोई विधिक अधिकार नही था, इस प्रकार उनके द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश पूर्णतया अप्रासांगिक व गैर कानूनी एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम मीरापुर के अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 424 पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.02.2015 अपास्त किया जाकर नायब तहसीलदार कोटपूतली को आदेश दिये जाते है कि वे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर अपीलान्ट के द्वारा क्रय किये गये विक्रेता की खातेदारी के हिस्से की भूमि की खातेदारी क्रेता के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.05.2015 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)